



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102021-230546
CG-DL-E-20102021-230546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3984]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 2021/ आश्विन 28, 1943

No. 3984]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ ASVINA 28, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 4334(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन एवं स्पर पाइपलाइन के विजयपुर-औरैया पाइपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य, मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

हजीरा – विजयपुर – जगदीशपुर (एच वी जे) गैस पाइपलाइन

खण्ड – विजयपुर से औरैया

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या ब्लोक नं.	भूमि उपयोग के अधिकार अर्जन का क्षेत्रफल (हे./वर्ग मीटर)
गुना	गुना	बजरंगढ	36	0-07-15
			37/1	0-00-20
			167/2/1	0-25-66
			167/2/2	0-25-66
			167/3	0-02-54
			172/4	0-81-15
			182/1	0-08-00
			182/5	0-07-00
			182/17	0-05-00
			182/18 मिन.1	2-33-22
			14	0-51-09
			475	0-30-37
			476	0-02-61
			477	0-02-29
			466	0-00-20
			465/2	0-18-72
			490/1/1	0-00-20
			489	0-13-50

[फा. सं. एल-14014-63-2021-जी पी-II]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 4334(E).—Whereas it appears to Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Natural Gas through Vijaipur to Auraiya Pipeline Section of Hazira – Vijaipur- Jagdishpur Natural Gas Pipeline and Spur Pipeline in the state of Madhya Pradesh ,a pipeline should be laid by M/s. GAIL (india) Limited.

And whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule, may within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of used therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, State of Madhya Pradesh, M/s.GAIL (India) Limited.

Hazira – Vijaipur – Jagdishpur (HVJ) Gas Pipeline

Section - Vijaypur - Auraiya

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No./ Block No.	R.O.U. Land to be acquired (Ha.- Are- Sqm)
GUNA	GUNA	BAJRANGARH	36	0-07-15
			37/1	0-00-20
			167/2/1	0-25-66
			167/2/2	0-25-66
			167/3	0-02-54
			172/4	0-81-15
			182/1	0-08-00
			182/5	0-07-00
			182/17	0-05-00
			182/18 MIN.1	2-33-22
			14	0-51-09
			475	0-30-37
			476	0-02-61
			477	0-02-29
			466	0-00-20
			465/2	0-18-72
			490/1/1	0-00-20
			489	0-13-50

[F. No. L-14014-63-2021-GP-II]

RAKESH MISHRA, Under Secy.